US-179
27/03/25

OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER
(PLANNING BRANCH)
GOVT. OF NCT OF DELHI
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

F .No. 28/11/789/P&S/Lab/2025/ 7055 Dated:- 24/03/2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय: दिनांक 27.03.2025 को सदन की बैठक हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 179, श्री वीर सिंह ढिंगन द्वारा पूछे गये प्रशनों का उत्तर ।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 11 (बी-1) VIII/2025-30/ वी.एस.एस./ प्रश्न शा./2159 दिनांक 17.03.2025 के संदर्भ में इस कार्यालय से उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर की 100 प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। इस पत्र के साथ उत्तर और उसकी सॉफ्ट कॉपी पी.डी.एफ फॉर्म में भेजी जा रही है।

यह उत्तर माननीय मंत्री (कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, कला, संस्कृति और भाषा और पर्यटन) द्वार अनुमोदित किया गया है।

भवदीया,

संलग्न: उपरोक्त

सुनीता

(सुनीता कालरा)
सहायक निदेशक (योजना)

विभाग का नाम: श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(दिल्ली भवन निर्माण एव अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड)

विभाग का पता: 5 शाम नाथ मार्ग, नई दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 179

दिनांक :- 27/03/2025

प्रश्नकरता का नाम :- श्री वीर सिंह ढिंगन

क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार भवन – सड़क आदि बनाने वाले ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिक को कोई श्रमिक कार्ड बनाकर देती है;	(क) जी हाँ, दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में भवन निर्माण एवं सड़क आदि में कार्यरत श्रमिको का पजीकरण किया जाता है व पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
(ख) यदि हां, तो श्रमिक कार्ड बनाने के क्या मापदंड है तथा किस किस श्रेणी के श्रमिको को सरकारी सुविधाओं के लिए श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं ;	(ख) पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अपनाए जाने वाली पद्धति एंव अपेक्षित दस्तावेजो का पूरा ब्यौरा संलग्न है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धरा 2(e) के अनुसार भवन निर्माण श्रमिक का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के सम्बन्ध में किसी कुशल, अर्धकुशल मैनुअल, पर्यवेक्षी तकनीकी या लिपिकीय कार्य को भाड़े या पारिश्रमिक पर करने के लिए नियोजित है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त हों या निहित हों, लेकिन इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। 1. जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है;या 2. जो पर्यवेक्षक क्षमता में नियोजित होकर प्रति माह एक हज़ार छः सौ सौ रूपए से अधिक वेतन प्राप्त करता है या पद से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के कारन या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्या रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने दिल्ली निर्माण आदि कार्यो में श्रमिको को श्रमिक कार्ड बनाकर दिए है; और	(ग) जी हाँ, दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार ने दिल्ली निर्माण आदि कार्यो में श्रमिको को पंजीकरण प्रमाण पत्र बनाकर दिया है।

<table>
<tr>
<td>(घ) यदि हां, तो दिल्ली मै कुल कितने श्रमिको को यह कार्ड बनाकर दिए गए है ?</td>
<td>(घ) पंजीकरण की वैधता एक वर्ष की होती है तथा इसके बाद पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है।
दिल्ली भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में वर्षवार पंजीकरण का ब्यौरा निम्ननिखित हैं:-
<table>
<tr><td>2018-2019</td><td>11588</td></tr>
<tr><td>2019-2020</td><td>42731</td></tr>
<tr><td>2020-2021</td><td>189931</td></tr>
<tr><td>2021-2022</td><td>1002451</td></tr>
<tr><td>2022-2023</td><td>93908</td></tr>
<tr><td>2023-2024</td><td>22957</td></tr>
<tr><td>2024-2025</td><td>54319</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

हस्ताक्षर

Joint Labour Commissioner (HQ)
Labour Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054

1. <u>पंजीकरण के मापदंड</u>

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तो का विनियम) अधिनियम ,1996, की धारा 12(1) के अनुसार प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, परन्तु साठ वर्ष कि आयु पूरी नहीं की हो, और जो विगत बारह महीनो के दौरान कम से कम नब्बे दिन तक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा रहा हो, वह इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा !

2. <u>निर्माण श्रमिको के रूप में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरण हैं</u>

चरण १ – नागरिक श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में नया पंजीकरण करने के लिए वेब पोर्टल पर जाये

वेब पोर्टल लिंक –http://dbocwwb.delhi.gov.in/

चरण २- आवेदन का नया पंजीकरण पृष्ट खोलने के लिए नया पंजीकरण बटन पर क्लिक करे !

चरण ३- पंजीकरण पृष्ट पर सभी विवरण दर्ज करने के बाद, "रजिस्टर " बटन पर क्लिक करे ! इससे निर्माण श्रमिको का पंजीकरण पृष्ट खुल जायेगा !

पंजीकरण पृष्ट में निम्नलिखित फील्ड हैं :

पृष्ट 1-मूलभूत कार्मिक विवरण

पृष्ट 2- कार्य स्थल का विवरण

पृष्ट 3- परिवार और नामांकन विवरण

पृष्ट 4- बैंक विवरण

पृष्ट 5- यूनियन सदस्यता विवरण

पृष्ट 6- किसी अन्य राज्य बोर्ड के सदस्य

पृष्ट 7- सहायक का शपथ पत्र

पृष्ट 8- आवेदक का शपथ पत्र

पृष्ट 9- आवेदन पूर्वालोकन

पृष्ट 10- भुगतान

पृष्ट 11- पावती- भुगतान हो जाने के बाद, श्रमिक को सबमिट बटन पर क्लिक करना चाहिए ! सबमिट करने के बाद OTP जनरेट होता है, जो आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर और इ मेल इ डी पर प्राप्त होता है ! OTP सबमिट करने के बाद एक पावती पर्ची जनरेट होती है और श्रमिक को SMS और मेल के माध्यम से भी पुष्टि मिलती है !

टेली- सत्यापन के बाद, पंजीकरण अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही कि जाती है और यदि आवेदन को सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन को मंजूरी दी जाती है , डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है !

पंजीकरण के लिए आवशक दस्तावेजो की सूची –

र्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदक की फोटो लाइव विडियो के साथ
2. 90 दिनों का रोजगार प्रमाण पत्र
3. स्व- सत्यापित आधार कार्ड
4. स्थानीय पते का प्रमाण
5. जन्म तिथि प्रमाण
6. बैंक खाता का प्रमाण